COHERENCE – The Multidisciplinary Research Journal
Volume No: 15, Issue No: 2, Year: 2024 (July-December)
PP: 75-82

ISSN: 0976-5301
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 7.85)
Journal Website www.coherencejournal.in

बिहार के ग्रामीण समाज में दलित चेतना और पंचायत राजनीति में भागीदारी का अध्ययन

सरोज कुमार यादव

विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा

सार

बिहार के ग्रामीण समाज में दलित चेतना का विकास सामाजिक अपमान, आर्थिक वंचना, भूमि-संबंधी असमानता, शिक्षा के विस्तार, आरक्षण व्यवस्था और स्थानीय लोकतंत्र की प्रक्रियाओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। पंचायत राजनीति ने दलित समुदायों को गाँव-स्तर पर राजनीतिक दृश्यता, प्रतिनिधित्व और निर्णय-प्रक्रिया में प्रवेश का अवसर दिया है। इस शोध-पत्र में द्वितीयक आँकड़ों के आधार पर बिहार के ग्रामीण समाज में दलित चेतना और पंचायत राजनीति में उनकी भागीदारी का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन में पाया गया कि बिहार में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 2011 की जनगणना में 15.91% थी, जो 2023 के जाति-आधारित सर्वेक्षण में 19.65% दर्ज की गई। यह वृद्धि राजनीतिक विमर्श में दलित समुदायों की संख्या-आधारित दावेदारी को मजबूत करती है। बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षण के माध्यम से स्थानीय प्रतिनिधित्व की संरचना को विस्तृत किया। फिर भी दलित प्रतिनिधित्व की वास्तविक प्रभावशीलता शिक्षा, आर्थिक स्थिति, भूमि-अधिकार, प्रशासनिक पहुँच और ग्राम-स्तरीय सत्ता-संबंधों पर निर्भर रहती है। शोध का निष्कर्ष है कि बिहार में दलित चेतना अब केवल सामाजिक सुधार का प्रश्न नहीं, बल्कि स्थानीय लोकतंत्र, संसाधन-वितरण और ग्रामीण विकास की राजनीति का केंद्रीय आधार बन चुकी है।

मुख्य शब्द: दलित चेतना, बिहार, पंचायत राजनीति, ग्रामीण समाज, सामाजिक न्याय, जनभागीदारी, स्थानीय लोकतंत्र।

1. प्रस्तावना

बिहार का ग्रामीण समाज लंबे समय तक जाति, भूमि और श्रम-संबंधों पर आधारित सामाजिक संरचना से संचालित रहा है। इस संरचना में दलित समुदायों की स्थिति प्रायः भूमिहीनता, मजदूरी, सामाजिक बहिष्करण और सत्ता-संसाधनों से दूरी के रूप में दिखाई देती रही। किंतु लोकतांत्रिक राजनीति, आरक्षण, शिक्षा, सामाजिक आंदोलनों और पंचायत संस्थाओं के विस्तार ने दलित समुदायों में नई चेतना उत्पन्न की है। यह चेतना केवल जातिगत पहचान का बोध नहीं है, बल्कि अधिकार, सम्मान, प्रतिनिधित्व और स्थानीय संसाधनों में हिस्सेदारी की माँग से जुड़ी हुई है [1]।

© Copyright @ Authors

ISSN: 0976-5301
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 7.85)
Journal Website www.coherencejournal.in

भारत में 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक आधार दिया और स्थानीय स्वशासन को सामाजिक न्याय से जोड़ा [2]। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं का पुनर्गठन इसी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया का हिस्सा है। राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार के अनुसार आयोग की स्थापना 73वें और 74वें संशोधन के बाद स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए की गई थी, जिससे प्रशासन को जनता के निकट ले जाने और सामाजिक-आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने की प्रक्रिया मजबूत हुई । बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 ने ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की त्रिस्तरीय संरचना को कानूनी रूप दिया [3]।

2. अध्ययन के उद्देश्य और पद्धति

इस शोध-पत्र के प्रमुख उद्देश्य हैं—बिहार के ग्रामीण समाज में दलित चेतना के उदय को समझना; पंचायत राजनीति में दलित भागीदारी की प्रकृति का विश्लेषण करना; पंचायत आरक्षण और दलित प्रतिनिधित्व के संबंध को स्पष्ट करना; तथा सामाजिक-आर्थिक आँकड़ों के आधार पर दलित राजनीतिक सशक्तीकरण की सीमाओं और संभावनाओं की समीक्षा करना।

अध्ययन द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है। इसमें जनगणना 2011, बिहार जाति-आधारित सर्वेक्षण 2023, बिहार पंचायती राज अधिनियम, राज्य निर्वाचन आयोग, पंचायती राज विभाग, सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना और विद्वानों के अध्ययनों का उपयोग किया गया है। विश्लेषण में प्रतिशत, अनुपात, प्रतिनिधित्व-सूचकांक और अंतर-विश्लेषण का प्रयोग किया गया है।

3. बिहार के ग्रामीण समाज में दलित चेतना की पृष्ठभूमि

बिहार में दलित चेतना का विकास तीन स्तरों पर हुआ। पहला स्तर सामाजिक अपमान और अस्पृश्यता के विरुद्ध प्रतिरोध का था। दूसरा स्तर राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आरक्षण से जुड़ा था। तीसरा स्तर स्थानीय विकास, पंचायत संसाधन, सरकारी योजनाओं और प्रशासनिक पहुँच में हिस्सेदारी का है। हितेंद्र के. पटेल ने बिहार में 1913 से 1952 तक दलितों की राजनीतिक सक्रियता को जातीय संगठनों, सामाजिक लामबंदी और जगजीवन राम जैसे नेताओं के उभार से जोड़ा है [4]। इस ऐतिहासिक प्रक्रिया ने ग्रामीण दलित समाज में सम्मान और अधिकार की राजनीति की नींव रखी।

बिहार में दलित चेतना का ग्रामीण स्वरूप विशेष रूप से भूमि-संबंधों से जुड़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों में दलित समुदायों की बड़ी आबादी कृषि मजदूरी, असंगठित श्रम, प्रवासन, मनरेगा, राशन, आवास और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर निर्भर रहती है। इसलिए पंचायत राजनीति दलितों के लिए केवल चुनाव लड़ने का माध्यम नहीं, बल्कि रोजमर्रा के जीवन से जुड़े संसाधनों तक पहुँच का साधन है। ग्राम सभा, वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य जैसे पद दलितों की स्थानीय आवाज को संस्थागत रूप देते हैं।

© Copyright @ Authors

ISSN: 0976-5301
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 7.85)
Journal Website www.coherencejournal.in

4. जनसंख्या और सामाजिक-आर्थिक आधार

2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 104,099,452 थी और अनुसूचित जाति जनसंख्या 16,567,325 थी, जो कुल जनसंख्या का 15.91% थी । 2023 के बिहार जाति-आधारित सर्वेक्षण में अनुसूचित जातियों की संख्या 25,689,820 और हिस्सेदारी 19.65% दर्ज की गई । यह परिवर्तन बिहार की राजनीति में दलित समुदायों की जनसंख्या-आधारित दावेदारी को अधिक स्पष्ट करता है।

तालिका 1: बिहार में अनुसूचित जाति जनसंख्या का तुलनात्मक संकेत

स्रोत	कुल जनसंख्या	अनुसूचित जाति जनसंख्या	अनुसूचित जाति प्रतिशत
जनगणना 2011	104,099,452	16,567,325	15.91%
जाति-आधारित सर्वेक्षण 2023	130,725,310	25,689,820	19.65%
अंतर	+26,625,858	+9,122,495	+3.74 प्रतिशतांक

2011 से 2023 के बीच अनुसूचित जाति हिस्सेदारी में 3.74 प्रतिशतांक का अंतर दर्ज होता है। यदि इसे 2011 के अनुपात से देखा जाए, तो यह लगभग 23.51% सापेक्ष वृद्धि को दिखाता है। यह वृद्धि केवल जनसंख्या संबंधी तथ्य नहीं, बल्कि प्रतिनिधित्व, आरक्षण, कल्याणकारी योजनाओं और पंचायत-स्तरीय शक्ति-साझेदारी की बहस को प्रभावित करने वाला राजनीतिक संकेतक है।

5. पंचायत आरक्षण और दलित प्रतिनिधित्व

बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अधिनियम में महिलाओं के लिए भी लगभग 50% तक आरक्षण की व्यवस्था दी गई है; अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें भी इसी संरचना में आती हैं । पंचायती राज विभाग, बिहार भी यह बताता है कि पंचायतों और ग्राम कचहरी में आरक्षित तथा सामान्य दोनों श्रेणियों की महिलाओं को 50% क्षैतिज आरक्षण उपलब्ध कराया गया है ।

बिहार में पंचायती राज संस्थाओं की संरचना व्यापक है। उपलब्ध सरकारी और संस्थागत विवरणों के अनुसार राज्य में जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के तीन स्तर कार्यरत हैं। पंचायती राज विभाग से उद्धृत विवरण के अनुसार बिहार में

© Copyright @ Authors

8053 ग्राम पंचायत, 533 पंचायत समितियाँ और 38 जिला परिषद कार्यरत हैं, तथा ग्राम पंचायतें लगभग 1.15 लाख वार्डों में विभाजित हैं ।

तालिका 2: पंचायत संरचना और आरक्षण का संकेतक विश्लेषण

सूचक	संख्या/प्रावधान	राजनीतिक अर्थ
जिला परिषद	38	जिला-स्तरीय विकेंद्रीकृत नेतृत्व
पंचायत समिति	533	प्रखंड-स्तरीय प्रतिनिधित्व
ग्राम पंचायत	8053	गाँव-स्तरीय राजनीतिक भागीदारी
वार्ड	लगभग 1.15 लाख	सूक्ष्म स्थानीय प्रतिनिधित्व
महिला आरक्षण	लगभग 50%	दलित महिलाओं की राजनीतिक दृश्यता
अनुसूचित जाति आरक्षण	जनसंख्या अनुपात पर आधारित	दलित प्रतिनिधित्व की संस्थागत गारंटी

यह व्यवस्था दलित समुदायों को ग्राम-स्तर पर प्रवेश देती है। विशेष रूप से दलित महिलाओं के लिए यह दोहरे सशक्तीकरण का माध्यम है, क्योंकि वे जाति और लिंग दोनों स्तरों की वंचना से जूझती रही हैं।

6. पंचायत राजनीति में दलित भागीदारी की प्रकृति

बिहार की पंचायत राजनीति में दलित भागीदारी को तीन स्तरों पर समझा जा सकता है। पहला, मतदान और चुनावी भागीदारी; दूसरा, प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होना; तीसरा, निर्णय-प्रक्रिया और संसाधन-वितरण पर वास्तविक प्रभाव डालना। आरक्षण ने दूसरे स्तर को मजबूत किया है, किंतु तीसरा स्तर अभी भी चुनौतीपूर्ण है।

ग्राम पंचायत में दलित प्रतिनिधि मनरेगा कार्य, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, पेयजल, सड़क, आंगनवाड़ी, विद्यालय, पेंशन और राशन जैसे मुद्दों पर हस्तक्षेप कर सकते हैं। इससे दलित राजनीति स्थानीय विकास की राजनीति बनती है। किंतु कई गाँवों में मुखिया-पति, स्थानीय प्रभुत्वशाली जातियों का दबाव, प्रशासनिक जटिलता, दस्तावेजीकरण की समस्या और आर्थिक निर्भरता दलित प्रतिनिधियों की स्वतंत्रता को सीमित करती है [5]।

© Copyright @ Authors

तालिका 3: दलित पंचायत भागीदारी के प्रमुख आयाम

आयाम	सकारात्मक परिवर्तन	प्रमुख बाधा
मतदान	राजनीतिक जागरूकता में वृद्धि	जातिगत दबाव
प्रतिनिधित्व	आरक्षित सीटों से प्रवेश	प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व
महिला भागीदारी	50% आरक्षण से दृश्यता	पारिवारिक/स्थानीय नियंत्रण
ग्राम सभा	योजनाओं में आवाज	कम उपस्थिति और सूचना-अभाव
विकास योजनाएँ	संसाधन-दावेदारी	प्रशासनिक निर्भरता
नेतृत्व	युवा और शिक्षित दलितों का उभार	आर्थिक कमजोरी

7. सांख्यिकीय विश्लेषण

दलित पंचायत भागीदारी को समझने के लिए यहाँ तीन सूचकों का उपयोग किया गया है—जनसंख्या-प्रतिनिधित्व दबाव, सामाजिक क्षमता और स्थानीय अवसर-संरचना।

तालिका 4: दलित चेतना और पंचायत भागीदारी से जुड़े संकेतक

संकेतक	आँकड़ा	विश्लेषण
अनुसूचित जाति जनसंख्या, 2011	15.91%	आरक्षण का पूर्व आधार
अनुसूचित जाति जनसंख्या, 2023	19.65%	वर्तमान दावेदारी अधिक मजबूत
वृद्धि	3.74 प्रतिशतांक	प्रतिनिधित्व पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता
अनुसूचित जाति साक्षरता, 2011	48.65%	भागीदारी की सामाजिक क्षमता सीमित
अनुसूचित जाति महिला साक्षरता, 2011	38.46%	दलित महिला नेतृत्व की बड़ी चुनौती
महिला पंचायत आरक्षण	लगभग 50%	राजनीतिक प्रवेश का बड़ा अवसर

© Copyright @ Authors

2011 की जनगणना में बिहार की अनुसूचित जाति साक्षरता 48.65%, पुरुष साक्षरता 57.97% और महिला साक्षरता 38.46% दर्ज की गई थी । इससे स्पष्ट है कि पंचायत राजनीति में प्रतिनिधित्व बढ़ने के बावजूद शिक्षा की कमी प्रशासनिक दस्तावेजों, बजट, योजना-प्रबंधन और ग्राम सभा में प्रभावी बोलने की क्षमता को प्रभावित करती है।

यदि महिला आरक्षण 50% है और दलित महिला साक्षरता केवल 38.46% है, तो दोनों के बीच 11.54 प्रतिशतांक का क्षमता-अंतर बनता है। इसका अर्थ यह नहीं कि कम शिक्षित महिलाएँ नेतृत्व नहीं कर सकतीं, बल्कि यह कि प्रशिक्षण, कानूनी जानकारी, वित्तीय साक्षरता और पंचायत-प्रबंधन क्षमता का विस्तार अत्यंत आवश्यक है।

8. दलित चेतना, महिला नेतृत्व और ग्राम सभा

बिहार में पंचायत राजनीति ने दलित महिलाओं को विशेष रूप से नया राजनीतिक मंच दिया है। 50% महिला आरक्षण के कारण दलित महिलाएँ वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के रूप में सामने आई हैं। यह स्थिति ग्रामीण पितृसत्ता और जाति-आधारित सत्ता-संबंधों को चुनौती देती है। अंतरराष्ट्रीय वृद्धि केंद्र के अध्ययन में भी बिहार द्वारा पंचायतों में 50% महिला आरक्षण को स्थानीय प्रतिनिधित्व में महत्वपूर्ण कदम माना गया है ।

फिर भी दलित महिला नेतृत्व की चुनौती गहरी है। कई स्थानों पर निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की जगह परिवार के पुरुष सदस्य निर्णय लेते हैं। इसे केवल "प्रॉक्सी" समस्या कहकर समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि समय के साथ अनेक महिलाएँ पंचायत बैठकों, सरकारी कार्यालयों और ग्राम सभा में सक्रिय उपस्थिति दर्ज कराती हैं। दलित महिला प्रतिनिधियों के लिए वास्तविक सशक्तीकरण तब बढ़ता है जब उन्हें प्रशिक्षण, दस्तावेजी सहायता, सामुदायिक समर्थन और स्वतंत्र राजनीतिक पहचान मिलती है।

9. आर्थिक आधार और पंचायत राजनीति की सीमाएँ

दलित चेतना की वास्तविक शक्ति आर्थिक आधार से जुड़ी होती है। बिहार जाति-आधारित सर्वेक्षण में अनुसूचित जाति परिवारों में गरीबी का अनुपात 42.93% बताया गया है, जबकि राज्य औसत 34.13% था [6]। इससे स्पष्ट है कि दलित राजनीति की सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक निर्भरता है। गरीब प्रतिनिधि कई बार चुनावी खर्च, प्रशासनिक संपर्क और स्थानीय प्रभुत्वशाली समूहों के दबाव के कारण स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाते।

भूमिहीनता, मजदूरी-निर्भरता और प्रवासन पंचायत राजनीति को प्रभावित करते हैं। जिन समुदायों की आय अस्थिर है, वे ग्राम सभा में नियमित भागीदारी नहीं कर पाते। इसके विपरीत, शिक्षा प्राप्त और योजनाओं की जानकारी रखने वाले दलित युवक-युवतियाँ पंचायत राजनीति में नए मध्यस्थ के रूप में उभर रहे हैं। वे दस्तावेज, आवेदन,

© Copyright @ Authors

ऑनलाइन सेवाओं और सरकारी योजनाओं तक पहुँच बनाने में समुदाय की सहायता करते हैं। यही ग्रामीण दलित चेतना का नया रूप है।

10. निष्कर्ष

बिहार के ग्रामीण समाज में दलित चेतना और पंचायत राजनीति का संबंध परस्पर पूरक है। दलित चेतना ने ग्रामीण समाज में सम्मान, अधिकार और दावेदारी की भाषा विकसित की, जबकि पंचायत राजनीति ने उसे संस्थागत मंच दिया। 2011 से 2023 के बीच अनुसूचित जाति जनसंख्या हिस्सेदारी 15.91% से बढ़कर 19.65% दर्ज हुई, जिससे स्थानीय प्रतिनिधित्व की बहस और मजबूत हुई। बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 और 50% महिला आरक्षण ने दलितों, विशेषकर दलित महिलाओं को स्थानीय लोकतंत्र में प्रवेश दिलाया।

फिर भी वास्तविक सशक्तीकरण के लिए केवल आरक्षित सीट पर्याप्त नहीं है। शिक्षा, आर्थिक स्वायत्तता, ग्राम सभा की सक्रियता, पंचायत प्रशिक्षण, डिजिटल जानकारी, भूमि-अधिकार, सामाजिक सुरक्षा और प्रशासनिक पहुँच को मजबूत करना आवश्यक है। बिहार में दलित पंचायत राजनीति का अगला चरण संख्या-आधारित प्रतिनिधित्व से आगे बढ़कर प्रभावी निर्णय-भागीदारी, बजट निगरानी और सामाजिक न्याय आधारित ग्रामीण विकास की दिशा में विकसित होना चाहिए।

संदर्भ

1. सी. जेफ्रेलो, *इंडियाज साइलेंट रिवोल्यूशन: द राइज ऑफ द लोअर कास्ट्स इन नॉर्थ इंडिया.* न्यूयॉर्क: कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस, 2003.
2. भारत सरकार, *भारत का संविधान: 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992*, नई दिल्ली: विधि और न्याय मंत्रालय, 1992.
3. बिहार सरकार, *बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006*, पटना: पंचायती राज विभाग, 2006.
4. एच. के. पटेल, “एस्पेक्ट्स ऑफ मोबिलाइजेशन्स ऑफ दलित्स इन बिहार, 1913–1952,” *कंटेम्पररी वॉइस ऑफ दलित*, खंड 9, अंक 1, पृ. 63–72, 2017, doi: 10.1177/2455328X17692463.
5. एस. पाई, *दलित असर्शन एंड द अनफिनिश्ड डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशन.* नई दिल्ली: सेज पब्लिकेशन्स, 2002.
6. बिहार सरकार, *बिहार जाति-आधारित सर्वेक्षण, 2023: जनसंख्या एवं सामाजिक-आर्थिक निष्कर्ष*, पटना: सामान्य प्रशासन विभाग, 2023.
7. भारत सरकार, *जनगणना 2011: प्राथमिक जनगणना सार, बिहार.* नई दिल्ली: जनगणना आयुक्त कार्यालय, 2011.

© Copyright @ Authors

8. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, *बिहार राज्य कार्यालय: अनुसूचित जाति जनसंख्या एवं साक्षरता संकेतक*, नई दिल्ली, 2026.
9. पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार, *बिहार में पंचायती राज संस्थाओं की संरचना और प्रशासनिक विवरण*, पटना, 2024.
10. राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, *पंचायत निर्वाचन और निर्वाचित प्रतिनिधि संबंधी विवरण*, पटना, विभिन्न वर्ष.
11. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, *सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011: बिहार ग्रामीण रिपोर्ट*, नई दिल्ली, 2011.
12. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, *बिहार में पंचायती राज संस्थाओं पर प्रतिवेदन*, नई दिल्ली: भारत सरकार, 2006.

© Copyright @ Authors